

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसंचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा
कि किसी अन्य पटाखिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : गूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसंचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक-एफ/महा.वि.प./2011/ 3539

दिनांक: 30/07/11

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बन्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (आ-आ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : एन.ए.एस. महाविद्यालय, पोरसा (म.प्र.)

मनोनीत सदस्य : 1. डॉ. सुभाष शर्मा, आचार्य, विधि विभाग, शासकीय एम.एल.बी. कॉलेज, ग्वालियर
2. श्री के.पी. सिंह, सदस्य, महासभा, जी.वि.वि., ग्वालियर

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
- प्राचार्य, एन.ए.एस. महाविद्यालय, पोरसा (म.प्र.) की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाइ जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का ठी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्पण पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जे।
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सर्वोच्चत विषय पर यह पूर्ण में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : 091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ ५२४९

दिनांक : २१/१२/११

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार एन.ए.एस. महाविद्यालय, पोरसा को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. (आ.पा., राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत) तथा बी.एस.-सी. (आ.पा., रसायन, प्राणिकी, वनस्पति, भौतिकी, गणित कम्प्यूटर साइंस) पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

- परिनियम 28(17) के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- प्रयोगशाला हेतु रु. 25000/- सामग्री क्रय की जाये।
- पुस्कालय में सन्दर्भ पुस्तकों क्रय की जाये।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

- प्राचार्य, एन.ए.एस. महाविद्यालय, पोरसा।
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

राज
सहा-कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बंधित विषय पर यहि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सचिवा सो।



ग्राम : युनीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4250

दिनांक: 21/12/11

//संशोधित सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध एन.ए.एस. महाविद्यालय, पोरसा, जिला - मुरैना (98262-63666) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. (आ.पा., राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत), बी.एस.-सी. (आ.पा., रसायन, प्राणिकी, वनस्पति, भौतिकी, गणित कम्प्यूटर साइंस), पी.जी.डी.सी.ए., बी.ए.-प्रथम कम्प्यूटर एली. अति.वि. एवं बी.एस.-सी.-प्रथम अति.वि. वि. माइक्रोबायलॉजी पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत लिन्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद,, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर। **(संयोजक)**
(0751-2442828)
- (2) प्रो. डी.ए. गोस्वामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- (3) प्रो. एस.के. शुक्ला, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- (4) डॉ. एस.डी. सिरोदिया, उपाचार्य, पुरातत्त्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुपातित प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्रावार्द्ध/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्रावार्द्ध/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से जिरेटन है कि वे उक्त नियर्थित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधित निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देशी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तराधीय होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बर्टी करता है तो समिति स्वतः जिसकी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करें होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाला में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुत्विति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानवेय महाविद्यालय द्वारा देय होंगा।

J.B.
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यगाही हेतु।
2. प्रावार्द्ध/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सलपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के लिजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

S.P.
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सम्बन्ध पत्र व्यवहार कुलसंचित जीवाजी विश्वविद्यालय के निम्न से ही किया जावे व कि किसी अन्य प्राप्तिकारी के नाम न हो।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में यह व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य निम्न जावे जिससे चिह्नित हो।



प्राप्त : जीवाजी
कुलसंचित
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

दृष्टान्त : 0091-(0751) 244280
(क्रान्तिकार)
2442452 (जीवाजी)

फँक्स : (0091-0751)-2341766
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jivaji.edu/

प्रेषक :
कुलसंचित,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बन्धता/2012/ 4850

दिनांक : 9/05/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 22 मार्च 2012 के पद क्रमांक (13) के निर्णयानुसार इ.ए.एस. महाविद्यालय, पंतप्रसाद, जिला - मुरैना के सभ 2011-12 के लिये प्रत्यावित सचालित बी.ए. (आ.पा., राजबांधिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संख्यात), बी.एस.-टी. (आ.पा., टक्कायब, पाणिकी, वनस्पति, भौतिकी, गणित कम्प्यूटर साउंस), पी.जी.डी.टी.ए, बी.ए-प्रयोग कम्प्यूटर एस्ली. अतिथि एवं बी.एल-टी.-इन्ड्रम अति. वि. गाइकोबाबलौंजी पथ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बन्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय द्वारा बी.एस.-टी. माइक्रोबायोलॉजी प्रबन्ध में लगभग 40 छात्रों को दिवेश दिया जाया है, एवं उनकी प्रबन्ध लेन्डर के परीक्षा भी हो चुकी हैं। छात्रकित में तमिति कोलल सभ 2011-12 के लिये बी.एस.-टी. माइक्रोबायोलॉजी की सम्बन्धता हेतु अनुबंध करती हैं। किन्तु सभ 2012-13 में इस पाठ्यक्रम में किसी भी छात्र को प्रवेश न दिया जावे। क्योंकि महाविद्यालय में इस विषय से संबंधित कोई भी उपकरण एवं लैव जर्नल नहीं हैं।
2. महाविद्यालय में खाइल प्रबोगशालाओं की स्थिति अत्यधिक खराब है। महाविद्यालय सभ 2011-12 में ही 2 लाख के उपकरण साइंस प्रबोगशालाओं में से क्रमांक 10% प्रबोगशालाओं का व्यवस्थित निर्माण किया जाये, कोलल करने वें उपकरणों को प्रदर्शन हेतु रखा जाया है। working lab बनाइ जाए।
3. पुरुषकालीन सभ 2 में 2 लाख की पुरुली क्रय की जावे। इन संख्या के हिसाब से पुरुली अपवाहित है।
4. वर्तमान में जात्र प्राचार्य एवं एक शिक्षक ही 28(17) के अन्तर्गत नियुक्त हैं। यह भी लिंगिकान के दौरान उपर्युक्त बहीं हैं। सभी विषयों में कम से कम 20 (विशेष) शिक्षकों की नियुक्ति 28(17) के अन्तर्गत तीव्र जाह में की जावे।
5. खेल मैदान उपलब्ध नहीं है, खेल मैदान को विकासित किया जावे।
6. पी.जी.डी.टी.ए. सीट संख्या 40(वर्ली) ही.ए., कम्प्यूटर एलीकेशन की सम्बन्धता प्रदान की जावे किन्तु इस हेतु कोई अनियन्त्री सीट संख्या स्वीकृत जाती है। बी.ए. में वर्तमान में उपलब्ध सीट संख्या ही मात्र।
7. उक्त महाविद्यालय अगले सभ से पहले मार्च/अप्रैल में पुनः किया जावे। जाकि अगले सभ की सम्बन्धता से पहले शर्तों की पूर्ति का निरीक्षण जा सके।
8. परियोगम 28(17) का प्रालय सुनिश्चित किया जावे।

आदेशानुसार

कुलसंचित

प्रति,

1. प्राचार्य, एब.ए.एस. महाविद्यालय, पोरखा, जिला - मुरैना
2. आद्युक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसंचित (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, एरीका कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपकुलसंचित (सम्बन्धता)